न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्याः 04/2018 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

नाथूलाल पुत्र स्व. सत्नारायण निवासी 64–पटेल नगर कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर) जिला जयपुर।

...रेसपाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांकः 17.05.2018

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 29.01.2018 का आवेदन–पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर के कार्यालय में जमा कराया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 20.04.2018 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलांट स्वयं उपस्थित। अपीलांट ने अभी तक सूचना नही मिलने का कथन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर से पत्रांक/कोर्ट/2018/453 दिनांक 10.05.2018 द्वारा जवाब/टिप्पणी प्राप्त हुई जिसके अनुसार अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना की पत्रावली पर पारित निर्णय 08.12.2017 की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के होने से वांछित पत्रावली सहायक कलक्टर प्रथम जयपुर शहर से स्थानान्तरित की जा चुकी है। अपीलांट द्वारा वांछित सूचना राजस्व अपील प्राधिकारी से ही प्राप्त कर सकते है। अपीलांट का आवेदन पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अर्न्तगत राजस्व अपील अधिकारी जयपुर को अन्तरण पत्रांक 781 दिनांक 22.02.2018 से किया गया। जिसकी सूचना आवेदक/अपीलांट को भी दी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो से स्पष्ट है कि आवेदक/अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का आवेदन पत्र दिनांक 29.01.2018 को दिया है। उक्त आवेदन पत्र में वर्णित सूचना से संबंधित पत्रावली राजस्व अपील

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

Scanned by CamScanner